

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जुड़े हुए अपने टेलीफोन पर  
डाइनेमिक एसटीडी कन्ट्रोल सुविधा का उपयोग करें

(दो प्रतियों में भरा जाएगा)

आवास और टेलिफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 के अंतर्गत संसद सदस्य  
के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित आवास में टेलीफोन लगाने के लिए आवेदन

दिनांक: \_\_\_\_\_

प्रेषक:

\_\_\_\_\_, संसद सदस्य

सेवा में

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक  
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/  
खुर्शीद लाल भवन  
नई दिल्ली।

अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा के माध्यम से

महोदय,

कृपया टेलीफोन नम्बर \_\_\_\_\_ को चालू हालत में दिखाते हुए मेरे निवास  
\_\_\_\_\_ पर \_\_\_\_\_

से एक नया टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। इंस्ट्रूमेंट \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ बजे से \_\_\_\_\_ बजे के बीच  
मुझे उपलब्ध कराया जा सकता है।

\*2. "बिना एसटीडी/राष्ट्रीय एसटीडी के साथ/एनएसडी एवं आईएसडी दोनों के  
साथ" टेलीफोन की आवश्यकता है।

3. मैं उपर्युक्त टेलीफोन के संबंध में राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा  
नियमों के अंतर्गत संदेय राशि के अतिरिक्त डाक एवं तार की सभी देय राशियों की पूरी  
अदायगी करने का वचन देता हूँ एवं ऐसी देय राशियों के बराबर की राशि मेरे वेतन अथवा मेरे  
लिए अथवा मेरी ओर से बनाए जाने वाले यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता बिल से काटी जा सकती है।

भवदीय,

\_\_\_\_\_ संसद सदस्य  
(हस्ताक्षर)  
डिवीजन सं० \_\_\_\_\_

यह आवेदन कम से कम 24 घंटे पूर्व किया जाना चाहिए।

\* जो लागू न हो उसे काट दें।